



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28042024-253917
CG-DL-E-28042024-253917

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1731]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 26, 2024/वैशाख 6, 1946

No. 1731]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 26, 2024/VAISAKHA 6, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2024

का.आ. 1823(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य में सोलापूर जिले में NH548E के कि.मी. 98.65 से कि.मी. 141.600 (डिप्टी कलेक्टर भूमि अधिग्रहण 11, मध्यवर्ती इमारत, पहला मंजिल, एक खंड, सोलापूर.) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित दो चार लेन बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है। कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् डिप्टी कलेक्टर भूमि अधिग्रहण 11 सोलापूर को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा और अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में सोलापूर जिले में NH548E के कि.मी. 98.65 से कि.मी. 141.600 (डिप्टी कलेक्टर भूमि अधिग्रहण 11, मध्यवर्ती इमारत, पहला मंजिल, एक खंड, सोलापूर.) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: सोलापूर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: पंढरपुर					
गांव का नाम: भालवणी					
1	653/1	निजी	शुष्क	0.8 (हेक्टेयर)	0.8
Total					0.8

[फा. सं. 12037/28/2017-MAH(P-6)/3A]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2024

S.O. 1823(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two-four lane with Paved Shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH548E in the stretch of land from Km. 98.65 to Km. 141.600 (deputy collector land acquisition 11, central Buildings. First Floor. A section, Solapur) in the district of SOLAPUR in the State of MAHARASHTRA, here by declares its intention to acquire such land;"

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, 'Deputy Collector' Land Acquisition No.11, Solapur" in writing and shall set out the grounds there of and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Breif Description of the land to be acquired with or without structures falling NH548E in the stretch of land from NH548E Km.98.65 to 141.600Km. (deputy collector land acquisition 11, central Buildings, First Floor, A section, Solapur) in the district of SOLAPUR in the State of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA			District: SOLAPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Pandharpur					
Village: Bhalwani					
1	653/1	Private	Dry	0.8 (Hectare)	0.8
Total					0.8

[F. No. 12037/28/2017-MAH(P-6)/3A]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.